न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10/2015

अपीलार्थी–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
गजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल सरगरा निवासी खारसी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी 2. अर्दी माइनटेक प्राइवेट लिमिटेड एसए 52 सीएचबी जोधपुर जरिये निर्देशक, भवानीसिंह राठौड़ पुत्र सबलसिंह निवासी बी 109 करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2015 जो प्रकरण सं. 01/2015 सरकार बनाम गजेन्द्र कुमार मे तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।

राजस्व अपील सं. 12/2015

अपीलार्थी–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
अर्दी माइनटेक प्राइवेट लिमिटेड एसए 52 सीएचबी जोधपुर जरिये निर्देशक उम्मेदसिंह पुत्र हमीरसिंह पता 5ए–52 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर (राज0)		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी 2. गजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल सरगरा निवासी खारसी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2015 जो प्रकरण सं. 01/2015 सरकार बनाम गजेन्द्र कुमार मे तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–
1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

1. उपरोक्त दोनो अलग–अलग अपीलें अपीलार्थीगण की ओर से धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा प्रकरण सं. 01/2015 मे पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का पांयला कला ने दिनांक 22.09.2015 को धारा 90(ए) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांयला कला के खसरा नम्बर 480/1 रकबा 167–04 बीघा बा0दो0 भूमि मे से 24–18 बीघा भूमि पर गैर सायल गजेन्द्र कुमार द्वारा व्यवसायिक उद्देश्य हेतु बजरी संग्रहण व कॉम्प्लेक्स (मकान) बनाया गया, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा गैर सायल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलांट) को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा आराजी से बजरी एवं कॉम्प्लेक्स (भवन) को हटाया जाने के आदेश दिये। इसके साथ ही अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान 5.00 रू. का 50 गुणा रूपये 250/– जुर्माना आरोपित किया गया। सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को आदेशित किया कि गैरसायल की आराजी पर कृषि से भिन्न उपयोग को रोका जावे तथा भौतिक रूप से बजरी एवं कॉम्प्लेक्स (भवन) को बेदखल किया जावें। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रथम अपीलें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण की अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलार्थी गजेन्द्र कुमार की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 480/1 रकबा 167–4 बीघा आई हुई है जिसमे अपीलार्थी का 1/5 हिस्सा हैं। संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि मे भूमि सुधार व अन्य उपयोग हेतु आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिए विभाजन का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया जो विचाराधीन हैं। रेस्पोडेंट तहसीलदारा सिणधरी द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही संस्थित करते हुए एक सप्ताह के भूमि को रूपान्तरित करवा लिये जाने हेतु आदेशित किया गया जो कार्यवाही वाद विचारण रहते हुए एवं बिना विभाजन कराये किसी भी दशा मे संभव नही थी। अपीलार्थी की भूमि को क्रय करने से पूर्व रेस्पो/अपीलांट अर्दी माईनटेक प्रा0लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं शर्तों पर विक्रय हेतु बजरी का संग्रहण किया गया था जो हटाने की प्रक्रिया चालू हैं। बजरी की मात्रा को देखते हुए यह कार्य इतने कम समय मे संभव भी नहीं है एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की शर्तों की पालना किये बिना बजरी वहां से हटाना न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अतः तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश दुर्भावनापूर्ण एवं जल्दबाजी मे पारित कर भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है जो निरस्त योग्य हैं।

5. रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना विशिष्ठ भू–भाग का विभाजन कराये एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत भू–संपरिवर्तन कराये मौके पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया तथा बजरी का संग्रहण कर भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा नियमानुसार धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित कर मौके से अकृषि प्रयोजनार्थ कराये गये निर्माण को बेदखल करने एवं बजरी के संग्रहण को हटाने का आदेश दिया हैं। इस आदेश मे किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नही की है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना विशिष्ठ भू–भाग का विभाजन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कराये एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत भू–संपरिवर्तन कराये मौके पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया तथा बजरी का संग्रहण कर भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलाधीन कार्यवाही सम्पन्न की गई है तथा अपीलार्थी खातेदार को मौके पर किये गये निर्माण एवं बजरी को संग्रहण को हटाने के आदेश के साथ ही जुर्माना से दण्डित किया गया हैं। इसके विरूद्ध अपीलांट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हों कि भूमि का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उपयोग किया जा रहा हों। अपीलार्थी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की दो वर्ष के लिए लीज पर दिया गया तथा उक्त लीज पर दी गई भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये ही व्यवसायिक उपयोग प्रारम्भ कर दिया। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रश्न हैं तो वह केवल बजरी के स्टॉक के निस्तारण के संबंध मे है न कि खातेदारी भूमि के अप्राधिकृत रूप से व्यवसायिक उपयोग के लिए हैं, ऐसे मे अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की ओट मे राजस्व नियमों के उल्लंघन की अनुमति कतई नही दी जा सकती हैं। इस प्रकार विवादित खातेदारी की भूमि पर अपीलार्थीगण के द्वारा अप्राधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के विरूद्ध रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलकर्तागण को अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित किये जाने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन आदेश किसी भी दशा मे विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनो अपीलें सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.15 यथावत बहाल रखा जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलाधीन आदेश की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें।

8. आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर